



## Medical &amp; Health Department, Govt. of Rajasthan

Swasthya Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme JAIPUR

क्रमांक १०१९

दिनांक ०५-०४-२०१३

कार्यालय आदेश

“मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना” से सम्बन्धित शिकायतों का समय पर निस्तारण कर योजना को सुचारू रूप से चलाने हेतु एक मोनिटरिंग सेल का गठन किया जाता है, जिसके राज्य स्तर पर Pathology हेतु नोडल ऑफिसर डॉ. एस०एस० चौहान, (निदेशक एड्स, Mobile No. 9414318504) एवं Radiology हेतु डॉ अनिल श्रीवास्तव (Mobile No. 9414050250) होंगे।

चिकित्सालयों में जांच सुविधा की कमी, चिकित्सक द्वारा चिकित्सालय में जांच न करवाने, जांच सूची में उल्लेखित जांच सेवाओं की अनुपलब्धता अथवा किसी भी रूप में निःशुल्क जांच हेतु कीमत मांगना आदि की शिकायत निम्न जगह की जा सकती है :—

## राज्य स्तर पर :—

1. लेण्ड लाईन टेलीफोन पर :— 0141 – 2225624, 2225000 (निदेशालय कन्ट्रोल रूम)
2. ईमेल द्वारा :— rmsg.mnfy@gmail.com
3. फैक्स द्वारा :— 0141 – 2229858
4. पत्र द्वारा :— निदेशक जन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

## जिला स्तर पर :—

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सम्बन्धित चिकित्सालय।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सम्बन्धित जिला।
3. जिला कलेकट्रेट हेल्पलाइन नम्बर पर।

*l*  
प्रमुख शासन सचिव  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग  
एवं अध्यक्ष, आरएमएससी,

प्रतिलिपित निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिह्नों एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मिशन निदेशक, एनआरएचएम, चिह्नों एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त जिला कलेक्टर्स, राजस्थान।
4. निदेशक जन स्वास्थ्य/आरसीएच/एड्स/आईईसी, निदेशालय, जयपुर।
5. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
6. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला परियोजना कॉर्डिनेटर, राजस्थान।
7. सर्वर रूम।
8. कार्यालय प्रति

*l*  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)